निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 611/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामस्वरूप बैरवा पुत्र ओंकारमल बैरवा, जाति बैरवा, निवासी बैरवा की ढाणी, किशनपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर।
2. ललिता पुत्री सीताराम पत्नी कानाराम, जाति रैगर, निवासी रैगरो का मोहल्ला, ग्राम बगरू, तहसील बगरू, जिला जयपुर हाल निवासी रैगरों का मोहल्ला, कल्याण खातीपुरा, दांतली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. ग्राम पंचायत मनोहरपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 132/2025 ब–उनवानी ललिता बनाम ग्राम पंचायत मनोहरपुरा व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थित:–

1. श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 16.10.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 132/2025 ब–उनवानी ललिता बनाम ग्राम पंचायत मनोहरपुरा व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई किन्तु प्राप्त नहीं। अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से श्री सचिन शर्मा अभिभाषक ने वकालतनाम पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का व्यवहार प्रकरण में कतई न्यायोचित नहीं है तथा पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव व प्रलोभन में है तथा उक्त प्रकरण को प्रार्थी के विरूद्ध निस्तारित करने पर आमादा है, जो कतई न्याय के मंशा के अनुकुल नहीं है। पीठासीन अधिकारी प्रकरण में अनावश्यक रूची लेते हुये विधिक प्रावधानों का भी ध्यान नहीं रखते हुये निर्णय करने पर आमादा है। प्रार्थी को पूर्ण अन्देशा है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुये प्रार्थी को ऐसा प्रतीत भी होना आवश्यक है कि उसे न्याय प्राप्त होगा। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

से किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

अप्रार्थीगण संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघडन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner